



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04072026-274106
CG-DL-E-04072026-274106

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3385]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 1, 2026/आषाढ 10, 1948

No. 3385]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 1, 2026/ASHADHA 10, 1948

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जून, 2026

का.आ. 3520(अ).—सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 70 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या सा.आ. 5852(अ), दिनांक 13 दिसंबर, 2022) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

(क) उक्त अधिसूचना में, प्रविष्टि में अनुच्छेद के लिए “निम्नलिखित स्थानों के” शब्दों को विलोपित किया जाएगा।

(ख) उप अनुच्छेद (i) और (ii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात-

“ (i) राष्ट्रीय पारेषण परिसंपत्ति प्रबंधन केंद्र (एनटीएमसी)

(ii) नीचे उल्लिखित क्षेत्रीय पारेषण परिसंपत्ति प्रबंधन केंद्र (आरटीएमसी)

(क) उत्तरी क्षेत्र-1

(ख) उत्तरी क्षेत्र-2

(ग) उत्तरी क्षेत्र-3

- (घ) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र
- (ड.) पूर्वी क्षेत्र-1
- (च) पूर्वी क्षेत्र-2
- (छ) पश्चिमी क्षेत्र-1
- (ज) पश्चिमी क्षेत्र-2
- (झ) दक्षिणी क्षेत्र-1
- (त) दक्षिणी क्षेत्र-2
- (थ) ओडिशा "

[फा. सं. 1/13/2021/आईटी]

आधार राज, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th June, 2026

S.O. 3520(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 70 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Power number S.O. 5852(E), dated the 13th December, 2022, namely:-

(a) In the said notification, for paragraph in the entry, the words “following locations of”, shall be omitted

(b) For sub-Paragraph (i) and (ii), the following p shall be substituted, namely: -

“(i) National Transmission Asset Management Centre (NTAMC)

(ii) Below mentioned Regional Transmission Asset Management Centres (RTAMC)

- (a) Northern Region-1
- (b) Northern Region-2
- (c) Northern Region-3
- (d) North Eastern Region
- (e) Eastern Region-1
- (f) Eastern Region-2
- (g) Western Region-1
- (h) Western Region-2
- (i) Southern Region-1
- (j) Southern Region-2
- (k) Odisha”

[F. No. 1/13/2021/IT]

AADHAR RAJ, Jt. Secy.